प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना—विशेषताएं

यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित अपनी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की बोवाई करने वाले बंटाईदार और किरायेदार किसान समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।किसानों का अधिसूचित / बीमा कृत फसलों के लिए बीमा पात्र हित होना चाहिए।

गैर-ऋण वाले किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों अधिकार (आरओआर), भूमि अधिग्रहण प्रमाणपत्र (एलपीसी) इत्यादि के रिकॉड्र्स के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने होंगे और/ या लागू अनुबंध विवरण / अन्य दस्तावेज अधिसूचित / संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुमति (बंटाईदार/ किरायेदार किसानों के मामले में)।

●अनिवार्य घटक

अधिसूचित फसल (ओं) के लिए वित्तीय संस्थानों (यानी ऋण दाता किसानों) से मौसमी कृषि संचालन (एसएओ) ऋण लेने वाले सभी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।सभी ऋणदाताओं के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा कवरेज पर जोर देना अनिवार्य है।

फसल योजना में कोई भी बदलाव अंतिम तिथियों से कम से कम 02 दिन पहले बैंक के नोटिस में लाया जाना चाहिए।

बीमा प्रस्तावों को केवल एसएलसीसीसीआई / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित अंतिम तारीख तकही स्वीकार किया जाता है।

●स्वैच्छिकघटक

योजना किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में, किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋण वाले किसानों के लिए वैकल्पिक होगी। इच्छुक गैर-ऋण वाले किसान निकटतम बैंक शाखा / पीएसीएस / अधिकृत चैनल पार्टनर / बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ के माध्यम से निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर, पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ प्रस्ताव फॉर्म, जमा करें और बैंक शाखा / बीमा मध्यस्थ / सीएससी केंद्रों को अनिवार्य प्रीमियम जमा करें, जिस से बीमा के लिए प्रस्तावित भूमि

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617

/ फसल (उदाहरण के लिए अधिग्रहण / किरायेदारी / खेती के अधिकार) की खेती में उनके बीमा योग्य हितों के बारे में आवश्यक दस्तावेजी सबूत स्थापित हो।

✓बीमा के लिए इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना / संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव में लागू होना चाहिए।

✓किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि पहचान संख्या का जिक्र करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। किसान को बोये गये क्षेत्र का पुष्टिकरण साक्ष्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

✓किसान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक स्त्रोत से भूमि के टुकड़े में खेती की जानेवाली अधिसूचित फसल (खेती) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो।कोई दोहरा बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज के लिए योग्य नहीं होगा।बीमा कंपनी ऐसे दावोंको अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और प्रीमियम के साथ-साथ ऐसे मामलों में धनवापसी नहीं करेगी।

✓कंपनी एसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

✓फसल योजना में कोई भी बदलाव कट-ऑफ-डेटसे २ दिन पहले बैंक को सूचित किया जाना चाहिए.

✓बीमा प्रस्ताव केवल एसएलसीसीआई/ राज्य सरकार द्वारा घोषित निर्धारित कट-ऑफ तारीख तक स्वीकार किए जाते हैं.

ii) बीमाकृत फसलें

सभी फसलों को खाद्य और तिलहन फसलों और वाणिज्यिक / बागवानी फसलों जैसे योजना के तहत कवर किया गया है जिसके लिए पिछले उपज डेटा उपलब्ध है।

बारहमासी फसलों के अलावा, कवरेज के लिए पायलटों को उन बारहमासी बागवानी फसलों के लिए लिया जा सकता है, जिसके लिए उपज अनुमान के लिए मानक पद्धति उपलब्ध है.

iii) योजना के तहत जोखिम और बहिष्कार का कवरेज

यह योजना चयनित परिभाषित क्षेत्रों में "क्षेत्रदृष्टिकोण" के सिद्धांत पर संचलित होती है जिसे फसल बीमा पर राज्य समन्वय समितियों में किए गए निर्णय के अनुसार बीमा इकाई (IU), कहा जाता है।संबंधित राज्य / यू /

टी सरकार द्वारा प्रमुख फसलों के लिए इन इकाइयों को गांव / ग्रामपंचायत या किसी अन्य समकक्ष इकाई पर लागू बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है।अन्य सभी फसलों के लिए यह गांव / गांव पंचायत के स्तर से ऊपर आकार की इकाई हो सकती है।

फसल के चरण और फसल के जोखिम इस योजना में शामिल कर रहे हैं।

- निष्फल रोपण / रोपण जोखिम : अधिसूचित क्षेत्र की बीमाकृत फसलों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बुवाई / रोपण से निष्फल होती है तो बीमाकृत फसलें बीमित राशि के अधिकतम २५% तक शातिपूर्ति दावों के लिए पात्र होगी।
- स्थायी फसल (बुवाई से फसल काटने) : गैर-रोकथाम वाले जोखिमों के कारण उपज हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाती है, जैसे सूखा, बाढ़, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और लाइटनिंग, तूफान, चक्रवात।
- फसल कटाई पश्यात् हानि : कवरेज उन फसलों के लिए उपलब्ध है । कटाई से केवल दो सप्ताह तक चक्रवात या चक्रवाती बारिश / अनियमित बारिश या ओला वृष्टि होने के कारण फसल क्षति से उत्पन्न होने वाले दावों को अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक कवर किया जा सकता है और क्षतिका आकलन अलग-अलग कृषक आधार पर किया जाएगा।
- स्थानीयकृत आपदाएं : अधिसूचित क्षेत्र में स्थानीयकृतजोखिमों ओलावृष्टि, भूस्खलन जलप्लावन, बादल फटना, आकाशीय बिजली के परिणाम स्वरूप हानि / क्षति।

नोट : युद्ध और परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोकथाम वाले जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नुकसान को बाहर रखा जाएगा।

विभिन्न फसलों के लिए क्षतिपूर्ति स्तर 70%, 80% और 90% लागू होता है। कवरेज के विभिन्न क्षतिपूर्ति के स्तर तक क्रमश उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम स्तर होता, फसलों के प्रकार के आधार पर अधिसूचित इकाई अनुसार फसलों और क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया जाता है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617

प्रीमियम

खरीफ खाद्य और तिहलन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2%, रबी खाद्य और तिहलन फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के लिए 5% या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो।

नोट :

- मौसमी अनुशासन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में परिभाषित ऋणी औरगैर-ऋण वाले किसानों के लिए लागू होगा और किसानों को मौसम में संबंधित फसल के लिए लागू अंतिम तिथियों के पहले जरूरी नामांकन करने की आवश्यकता है।
- थ्रेसहोल्ड यील्ड (TY) बेंचमार्क उपज स्तर होगा जिस पर बीमा में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी।
- अधिसूचित फसल का थ्रेसहोल्ड (TY) क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा किए गए दो अधिसूचित आपदा वर्षों तक उपज को छोड़कर पिछले सात वर्षों की उपज की औसत होना चाहिए।
- इंश्योरेंस यूनिट (आईयू) में अधिसूचित फसल की औसत उपज पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी. अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है.

दावा निपटान का आधार

दावों का भुगतान क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा, निम्नलिखित के अधीन :

- राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल काटने के प्रयोगों (सीसीई) की आवश्यक संख्या आयोजित करना है और सीसीई आधारित उपज डेटा बीमा कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।
- फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) योजना इकाई की रूप रेखा और परिचालन दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित एक स्लाइडिंग पैमाने पर प्रति यूनिट क्षेत्र / प्रति फसल का आयोजन किया जाएगा।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617

- थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाय) बेंचमार्क यील्ड लेवल होगा, जिस पर बीमा कृत यूनिट के सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी. अधिसूचित फसल का थ्रेसहोल्ड होगा. इंश्योरेंस यूनिट (आईयू) में अधिसूचित फसल की औसत उपज पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी. अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है.

महत्वपूर्णलेख :

1. किसान इस योजना के तहत अपनी निकटतम बैंक शाखाओं, निकटतम सीएससी केंद्र या आईआरडीए द्वारा अधिकृत बीमा मध्यस्थ के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।
2. सभी नामांकनों को आवश्यक रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पूरा किया जाता है एवं बैंक या मध्यस्थ द्वारा प्रीमियम राशि बीमा कंपनी में परिभाषित अंतिम तिथि के भीतर जमा करने की आवश्यकता है।
3. यदि किसान फसल को बदलता है, तो उसे बीमा कंपनी को वित्तीय संस्थान / चैनल पार्टनर / बीमा मध्यस्थ एवं स्वयं के माध्यम से बुवाई के कम से कम 02 दिन पहले सूचित करना चाहिए; राज्य के संबंधित गांव / उप-जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाणपत्र के साथ, अंतरिम प्रीमियम देय, यदि कोई हो। यदि प्रीमियम का भुगतान अधिक था, तो बीमा कंपनी अतिरिक्त धन वापसी करेगी।
4. किरायेदार बटाईदार किसानों को कवरेज प्राप्त करने के मामले में (आर ओ आर) भूमि अधिग्रहण प्रमाणपत्र (एलपीसी) आदि के राज्य रिकॉर्ड्स में प्रचलित भूमि अभिलेखों के आवश्यक दस्तावेजी सबूत) / या लागू अनुबंध / अनुबंध विवरण / अन्य दस्तावेजों द्वारा अधिसूचित / अनुमत संबंधित दस्तावेजों को नामांकन के समय प्रदान की जाना चाहिए।
5. इस योजना के लिए सेवाकर छूट दी गई है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617